



उद्धरण खतौनी (शासकीय)

5136

उद्धरण क्रमांक : 154636202302

ग्राम क्रमांक : 154636	ग्राम का नाम / परगना : सालट(घरखारी)	तहसील : घरखारी	जनपद : महोबा	फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027)	भाग : 1	टिप्पणी
खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद
1	2	3	4	5	6	7-12

श्रेणी : 5-3-ख कृषि योग्य वंजर - ऐसे वन जिसमें अन्यप्रकार के वृक्ष, झाड़ियों के झुन्ड, झाड़ियों इत्यादि हों।

00923 जंगलात ग्राम समाज //

167	0.1840
204ख	0.0580
282क	3.2210
464 मि.	2.0200
465	0.2880
845ड	9.5260
906	0.5380
910	0.2160
911	0.7000
918ख	2.4530
958	0.1760
991	0.1360
992	0.8080
994ख	0.0680
1965	0.0400
1966	0.0560
1968	0.1520
1971	0.5760
1976	0.0320
1977	1.8830
1984	0.2760

1429फ. आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय महोबा के पत्र संख्या 730/डी.एल.आर.सी.-12ए-पुनर्ग्रहण/2022-23 दिनांक 28.05.2022 के अनुपालन में शासनादेश संख्या 258/रा.-1/16 (1) 73 दिनांक 05.03.1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ.प्र.अधिनियम संख्या-8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड-(ग) व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016 - 20(5)-2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये ग्राम सालट की खतौनी सन 1429फ.से 1434फ. के खाता संख्या 923 की गाटा संख्या 845ड. रकबा 9.526हे. में से 2.126हे. श्रेणी-5-3(ख) कृषि योग्य वंजर (जंगलात ग्राम समाज) निरस्त होकर जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत प्रभावित आरक्षित वन भूमि के क्षतिपूर्ति गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन एवं वन्य जीव प्रभाग महोबा (क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु) दर्ज हो।

1430 फसली - आदेश कार्यालय जिलाधिकारी महोबा आकार पत्र -1 संख्या 571 / डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2022-23 दिनांक फरवरी 25, 2023 के अनुसार आदेश हुआ कि शासनादेश संख्या -258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05.03.1974 का आंशिक परिष्कार करते हुये और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता .2006(उ0प्र0 अधिनियम संख्या -8 सन 2012) की धारा - 59 की उपधारा-(4) के खण्ड -(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम -55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके

Er. A.K. Awasthi
Assistant Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba

तथा शासकीय अधिसूचना संख्या -740 एक-
1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा
प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं मनोज
कुमार जिलाधिकारी, महोबा सतग्न अनुसूची में
उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक
05.03.1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के
स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबंधन में
निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।
अनुसूची----- (1) क्रम सं.1, (2) जिला महोबा, (3)
तहसील - चरखारी, (4) परगना - चरखारी, (5) गांव
/मौजा - सालट, (6) गाटा संख्या 845ड, (7) क्षेत्रफल
(हे०में) 7.400हे. में से 2.000हे., (8) भूमि की श्रेणी /
प्रकृति - अन्य कृषि योग्य वंजर भूमि ऐसे वन जिसमें
अन्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियों के झुण्ड, झाड़ियां इत्यादि
(जंगलात ग्राम समाज) खतौनी खाता संख्या 923), (9)
विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्गृहीत की जा रही
है) - जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत प्रभावित
आरक्षित वन भूमि के क्षतिपूर्ति गैर वानिकी प्रयोग हेतु
वन एवं वन्य जीव प्रभाग महोबा को (क्षतिपूर्ति
वनीकरण हेतु)।

21

23.4070

₹ 0.00

2

0

कुल गाटे- दो एक कुल क्षेत्रफल- दो तीन दशमलव चार शून्य सात शून्य (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: CHANDRA MAHON



उपरोक्त उद्घरण खतौनी का वेरिफिकेशन <http://pudhakhil.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: AMIT RAJPOOT

तहसील: चरखारी जनपद: महोबा

दिनांक एवं समय: 25-02-2023 04:26:24

0 यह उद्घरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

Er. A.K. Awasthi
Assistant Engineer
Construction Division (Civil)
U.P. Jal Nigam, Mahoba